शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण

डा. धर्मेन्द्र कुमार
असि. प्रोफेसर
अध्यापक शिक्षा विभाग
वर्द्धमान कॉलेज, बिजनौर

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारी को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारतीय नारी के आदर्श त्याग, सहिष्णुता, धैर्य, उदारता, सहनशीलता और सेवा-भाव रहे है। भारत में नारी को शक्ति, ज्ञान और लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। नारी के अभाव में पुरुष भी अपूर्ण है, इसलिए नारी को पुरुष की अर्द्धांगिनी कहा गया है। भारतीय समाज में नारी पुत्री, पत्नी और माता के रूप में सदैव ही सम्मानित एवं पूजनीय रही है। पुत्री के रूप में नारी जिस परिवार में जन्मी हो, उस परिवार में अपनी महती सेवाएँ समर्पित करती है। पत्नी के रूप में विवाह के बाद त्याग, बलिदान एवं अमूल्य सेवाएँ अर्पित करके दो परिवारों में सामंजस्य का निर्वहन करती है और अपनी चारित्रिक विशेषता एवं अच्छे आचरण से दो परिवारों की ख्याति को बढ़ाती है तथा स्वयं को आत्मसात कर लेती है। माता के रूप में नारी बच्चों को जन्म देकर सुसंस्कार एवं अच्छी शिक्षा-दीक्षा प्रदान करती है ताकि बच्चों में सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक एवं चारित्रिक मूल्यों एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके और बच्चे भविष्य में राष्ट्र एवं समाज के प्रति समर्पित नागरिक बन सके। समाज में नारी का वही स्थान होता है जो कि मानव शरीर में प्राण का होता है। यदि मानव शरीर से प्राण निकल जाये तो शरीर हाड़-मांस का निर्जीव पुतला हो जायेगा। उसी प्रकार यदि परिवार से नारी को अलग कर दिया जाये तो परिवार का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा।

शिक्षा परिवर्तन का सबसे बड़ा औजार होता है और इसके माध्यम से ही महिलाओं का सशक्तिकरण सम्भव है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन और विकास के अभिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जब बात महिला शिक्षा की होती है तो स्पष्टतः देखा जा सकता है कि इस सन्दर्भ में अभी वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना शेष है। परन्तु साथ ही यह भी सच है कि स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता एवं उपयोगिता के प्रति मानव-समाजों की समझ क्रमशः बढ़ रही है। समूचे विश्व में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए किये गये आन्दोलनों में, उनकी निम्न स्थिति बदलने के लिए, शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। १९वीं शताब्दी के भारतीय समाज-सुधारकों का भी ऐसा ही मत था। परन्तु प्रारम्भिक काल में महिला

शिक्षा का उपयोग, महिला को एक पत्नी व माता के परम्परागत कर्तव्यों के और अधिक कुशलतापूर्वक निर्वाह के योग्य बनाना था, न कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास प्रक्रिया में उनकी अधिक दक्ष व कुशल भागीदारी हेतु उन्हें सक्षम करना था। धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवर्तन आया और विशेषरूप से स्वतन्त्रता के पश्चात स्त्री-शिक्षा के महत्व को उसके विविध व विस्तृत आयामों के सन्दर्भ में देखा जाने लगा और इन्हीं विविध आयामों में शामिल है, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के अर्थपूर्ण प्रयासों की सम्भावना। आज स्पष्टतः माना जाने लगा है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला, समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है।

भारत सदैव ही सैद्धान्तिक एवं संवैधानिक रूप से महिलाओं को समान अधिकार प्रदत्त करने का पक्षधर रहा है। इसलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर महिला कल्याण एवं विकास के प्रयास किये जाते रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद ४५ में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति-निर्देशक तत्व घोषित किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि ''राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किए जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सभी बच्चों के लिए जब तक वे १४ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।' भारत में प्रथम से चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में बालकों के विकास हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाने, कामकाजी महिलाओं को संगठित करने एवं जोखिम वाले कार्यों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ शिशु सदनों की स्थापना, महिला शिक्षा एवं ग्रामीण सेवाओं में विस्तार, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को आम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य किया गया। शब्द, अंकों के ज्ञान के साथ-साथ कार्यात्मक साक्षरता का प्रचार-प्रसार पाँचवी पंचवर्षीय योजना की विशेषता रही है। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कमयाबी महिलाओं के कार्यों की शर्तों में सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक संस्थानों एवं महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं समेकित बाल विकास योजनाओं को लागू करना रहा है। सातवी पंचवर्षीय योजना द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को गम्भीरतापूर्वक लागू करना था। संविधान के ७३वे एवं ७४वें संशोधन द्वारा महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बनाने की प्रक्रिया ने महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में एक नवीन अध्याय जोड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९८६ ई. में न केवल महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की समस्या की चर्चा की गयी है बल्कि साथ ही साथ शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया गया है। इस हेतु लैंगिक विषमताओं की समाप्ति को भी मुख्य प्राथमिकता देने की इस

शिक्षा नीति में चर्चा है। अब ९३वें संविधान संशोधन (२००१ ई.) के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार मान लिया गया है।

महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में नवीं पंचवर्षीय योजना विशेष महत्व रखती है। इस योजना में जेण्डर जस्टिस जैसी महत्वपूर्ण विचारधारा के समावेश के साथ-साथ आर्थिक स्वालम्बन हेतु कमायी गयी राशि पर नियन्त्रण एवं व्यय के अधिकारों तक महिलाओं की पहुँच, ऋण सुविधाओं हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्माण जैसे महत्वपूर्ण पक्षों ने भी ध्यान आकर्षित किया है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण हेतु पिछले दशकों में महिला हित सम्बन्धी कानूनों को लागू करना, किशोरी बालिकाओं हेतु योजनाओं को लागू करना, भ्रूण-हत्या को निषेध करना तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार आया है।

प्रस्तुत लेख में महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में शिक्षा के महत्व व उपयोगिता की चर्चा की गयी है। विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर महिलाओं की स्थिति की जाँच कर यह जानने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य तक पहुँचने की क्या सम्भावना हो सकती है। किसी भी समाज व राष्ट्र का विकास तभी सम्भव है जबकि उस समाज में महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हो। इन अधिकारों व अवसरों की कानूनी व सैद्धान्तिक मान्यता के साथ-साथ समाजों में व्यावहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है। महिलाओं की स्थिति की जाँच करने से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि यद्यपि कानूनी व सैद्धान्तिक सन्दर्भों में उनके अधिकारों एवं अवसरों में कोई कमी नहीं है परन्तु व्यावहारिक स्वीकार्यता के सन्दर्भ में अभी अभीष्ट लक्ष्य तक हम नहीं पहुँच सके है। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं की स्थिति का आंकलन लैगिक विकास से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सूचकों के विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं पिछड़ेपन का आकंलन करने में इन सूचकों का विशेष महत्व है। कुछ प्रमुख सूचक इस प्रकार माने गये है-

- कार्यात्मक सहभागिता
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- जीवन-अवधि
- सुरक्षा

- सार्वजनिक/निजी जीवन में निर्णय-प्रक्रिया में सहभागिता इत्यादि।

इन विभिन्न सूचकों में से केवल शिक्षा को ही प्रस्तुत लेख में लिया गया है। विभिन्न शैक्षिक सूचकों के विस्तृत विश्लेषण से पूर्व महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को स्पष्ट उचित रहेगा।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय है महिलाओं के आन्तरिक गुणों का विकास कर वास्तविक क्षमता की पहचान कराना, आत्म-विश्वास एवं आत्म-स्वीकार्यता की भावना विकसित कराना, तर्क-शक्ति विकसित करना, आर्थिक स्वावलम्बता एवं निर्णय-क्षमता विकसित कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। इन सबके साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के कुछ परिभाषित मानक इस प्रकार माने गये है-

- महिलाओं की सकारात्मक छवि का निर्माण। यह कार्य सामाजिक-आर्थिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देकर किया जा सकता है।
- महिलाओं की विकास-प्रक्रिया में समान भागोदारी सुनिश्चित करना।
- सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयास करना।
- महिलाओं के कानूनी ज्ञान का विकास तथा स्वयं के अधिकारों सम्बन्धी सूचनाओं तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करना।
- महिलाओं में निर्णय लने की क्षमता का पोषण व उसे उन्नत करना।
- महिलाओं में आत्म-सम्मान एवं आत्म-विश्वास की भावना विकसित करना।
- महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता हेतु सूचना, ज्ञान व कुशलता उपलब्ध कराना।

महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी उपर्युक्त मानकों की व्यावहारिक प्राप्तियों के सन्दर्भ में निश्चय ही शिक्षा को एक आधारभूत उपकरण माना जा सकता है, परन्तु इस सन्दर्भ में यह विचारणीय प्रश्न भी हमारे समक्ष उपस्थित होता है-क्या महिला साक्षरता दर एवं महिला शैक्षिक स्तर को उन्नत करके महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है?

यद्यपि महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में शिक्षा की निश्चित व महत्वपूर्ण भूमिका मानी गयी है परन्तु यह कहना भी कठिन है कि केवल शैक्षिक स्तर में सुधार से ही महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। इसका कारण यह है कि लैंगिक विषमता व पक्षपात की वर्तमान स्थिति मुख्यतः अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों एवं पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का परिणाम है। अतः केवल शैक्षिक स्तर में वृद्धि के आधार पर इन कारणों को समाप्त किये जा सकने का दावा नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी शिक्षा की उपयोगिता को कम करके नहीं देखा जा सकता।

वस्तुतः शिक्षा ही वह मुख्य उपकरण है जिसका महिलाओं की स्थिति एवं सशक्तिकरण पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पक्षों को किस प्रकार विकसित एवं प्रभावित करती है इसका विस्तृत आंकलन अभी सामने नहीं आया है।

पाटिल, १९८८ इ. ने अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षा मानव संसाधन विकास हेतु सशक्त साधन है। शिक्षा, विशेषतः महिलाओं के व्यक्तित्व विकास, व्यावसायिक कौशलों में वृद्धि, आत्म-सम्मान की बढ़ोत्तरी एवं सामाजिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। राव, १९९२ ई. ने अपने अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव को दर्शाया। महिलाएँ कानूनी अधिकारों की जानकारी के प्रति अधिक उत्सुक पायी गयी। शोध कार्य में इस तथ्य की ओर भी संकेत किया गया कि शिक्षा से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुए है तथा निर्णय-प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में वृद्धि हुई है। गुप्ता एवं गुप्ता, १९९३ ई. ने अपने अध्ययन में पाया साक्षरता से सीमित परिवार के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। शर्मा २००१ ई. ने भी अपने अध्ययन में पाया कि विशेष रूप से ग्रामीण स्तर में साक्षरता के प्रसार से महिलाओं में रूढ़िवादी परम्पराओं को लांघकर आगे आने की हिम्मत बढ़ी है तथा समाज व परिवार का अनावश्यक भय कम हुआ है। अग्रवाल एवं अग्रवाल, २००१ ई. ने अपने अध्ययन में पाया कि जनसंख्या नियन्त्रण का सीधा सम्बन्ध साक्षरता से है। १३ फरवरी, २००३ संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण का सीधा लाभ परिवार स्वास्थ्य एवं आर्थिक उन्नयन पर पड़ता है। अग्निहोत्री एवं उपाध्याय, २००३ इ. ने अपने अध्ययन में पाया कि सशक्तिकरण के सम्बन्ध में निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर महिलाओं की अभिवत्ति सकारात्मक है।

इस प्रकार से ये अध्ययन इस तथ्य की ओर इंगित करते है कि महिलाओं में शिक्षा का स्तर महिला सशक्तिकरण से सकारात्मक रूप से जुड़ा है। प्रस्तुत लेख में महिला शिक्षा से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं का विश्लेषण शासकीय स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित किया गया है।

- महिलाओं का साक्षरता स्तर
- साक्षरता स्तर के सन्दर्भ में विद्यमान लैंगिक असमानता।

विभिन्न राज्यों में महिलाओं के तुलनात्मक शैक्षिक स्तर को ज्ञात करने के लिए एक सामान्य 'श्रेणी क्रम' तरीके को अपनाया गया है। शैक्षिक संदर्भ में राज्यों को पदानुक्रम, निम्नतम से उच्चतम की ओर दिये गये है। इस प्रकार श्रेणी क्रम १ उस राज्य को दिया गया है जो कि शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ है तथा उच्चतम पद उस राज्य को दिया गया है जिसकी शैक्षिक स्थिति सबसे अच्छी है।

महिलाओं की वर्तमान शैक्षिक स्थिति

नियोजित विकास प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण के अतिरिक्त शिक्षा को भी महिलाओं के विकास हेतु आवश्यक माना गया। स्कूल में बच्चों के नामांकन व

ड्राप आऊट के संदर्भ में पायी जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं (विशेषकर छठी योजना, १९८०-८५ ई. से) में भी शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की गयी। इस संदर्भ में स्थानीय स्तर के संगठनों, मुख्यतः अनौपचारिक शिक्षा के लिए कार्यरत संगठनों की संलग्नता को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता ह। परंतु विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की नामांकन वृद्धि हेतु किये गये प्रयास तब तक अधिक प्रभावी नहीं हो पायेंगे जब तक कि स्कूलों में उनको निरंतर उपस्थित रहने हेतु तत्पर न किया जा सके। लड़कियों की ड्रापआऊट दर, उनके नामांकन हेतु किये गये प्रयासों को निष्फल कर देती है

किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के संदर्भ में प्रथम कदम होता है 'साक्षरता'। साक्षरता अर्थात पढ़ने-लिखने की क्षमता का होना। पिछले दशक (२००१-२०११) में महिला साक्षरता की दर में १०.९३ प्रतिशत की वृद्धि होना उत्साहजनक माना जा सकता है। २००१ की ५३.६७ प्रतिशत की तुलना में २०११ में महिला साक्षरता दर का ६४.६० प्रतिशत तक हो जाना उल्लेखनीय सुधार माना जा सकता है। (सारणी-१) यह सब निश्चिय ही शासकीय व अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये गये प्रयासों का ही परिणाम है।

राज्यवार विश्लेषण

महिला साक्षरता दर की प्रगति के राज्यवार विभाजन को देखा जाये (सारणी-१) तो स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत राज्यों में २००१ की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बिहार एवं झारखण्ड़ जैसे राज्य की स्थिति को इस संदर्भ में बहुत ही सकारात्मक माना जा सकता है। जहाँ २००१म महिला साक्षरता दर अत्यंत निम्न थी। (३३.५७ एवं ३९.३८ प्रतिशत) २०११ में अपेक्षा से भी अधिक वृद्धि हुई है। दशक के दौरान महिला शिक्षा में होने वाला यह सुधार, अनेक कार्यक्रमों जैसे-महिला समाख्या, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी. ई.पी.), प्रौढ़ शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा में संबंधित कार्यक्रमों का परिणाम भी माना गया।

महिला साक्षरता के संदर्भ में प्रथम तीन स्थान केरल, मिजोरम व गोवा इन तीन राज्यों को प्राप्त है जहाँ ८४ से ९२ प्रतिशत तक महिलायें साक्षर हैं। साक्षरता दर में लैंगिक अंतर भी इन तीनों राज्यों में तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। बिहार व झारखंड जैसे राज्यों की स्थिति इस संदर्भ में सर्वाधिक शोचनीय मानी जा सकती है। जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर-प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश व राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहाँ महिला साक्षरता में विशेष सुधार नही है। परन्तु इन सभी राज्यों में पिछले दशक में साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहाँ राष्ट्रीय औसत की तुलना में महिला साक्षरता दर निम्न है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सभी राज्यों में (आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर) साक्षरता दर में लैंगिक अंतर के संदर्भ में नागालैंड, केरल, मेघालय मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एवं पंजाब श्रेष्ठतम स्थिति में माने जा सकते हैं जहाँ यह अंतर १० प्रतिशत से भी कम है।

यद्यपि सभी शैक्षिक स्तरों पर लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है परंतु स्त्रियों की स्वयं की साक्षरता दर व शैक्षिक स्तर में हुई प्रगति को उत्साहजनक माना जा सकता है। इन सभी शैक्षिक उपलब्धियों ने निश्चय ही एक वर्ग के रूप में महिला को सशक्त किया है।

महिला साक्षरता दर					लैंगिक आधार पर साक्षरता दर में अन्तर				
बिहार	33.57	1	51.5	1	राजस्थान	32.12	1	27.1	1
झारखंड	39.38	2	55.4	3	झारखंड	28.56	2	21.4	2
जम्मू एवं कश्मीर	41.82	3	56.4	4	उत्तर प्रदेश	27.25	3	20.1	4
उत्तर प्रदेश	42.98	4	57.2	5	बिहार	26.75	4	19.7	5
अरुणाचल प्रदेश	44.24	5	57.7	6	मध्य प्रदेश	26.52	5	19.5	6
राजस्थान	44.34	6	52.1	2	छत्तीसगढ़	25.46	6	20.1	4
मध्य प्रदेश	50.28	7	59.2	8	उड़ीसा	24.98	7	17.6	8
उड़ीसा	50.97	8	64	10	जम्मू एवं कश्मीर	23.93	8	20.4	3
आन्ध्र प्रदेश	51.17	9	59.1	7	उत्तरांखण्ड़	23.75	9	17.4	9
छत्तीसगढ़	52.4	10	60.2	9	हरियाणा	22.94	10	18.2	7
असम	56.03	11	66.3	12	गुजरात	21.9	11	16.1	10
हरियाणा	56.31	12	65.9	11	अरुणाचल प्रदेश	19.83	12	14.9	12
कर्नाटक	57.45	13	68.1	13	आन्ध्र प्रदेश	19.68	13	15.8	11
गुजरात	58.6	14	69.7	14	कर्नाटक	18.84	14	14.4	13
मणिपुर	59.7	15	72.4	18	महाराष्ट्र	18.76	15	12.5	17
पश्चिम बंगाल	60.22	16	70.5	16	मणिपुर	18.17	16	13.7	14
उत्तराखण्ड़	60.26	17	70	15	हिमाचल प्रदेश	17.94	17	13.6	15
मेघालय	60.41	18	72.9	19	तमिलनाडु	17.78	18	13.4	16
सिक्किम	61.46	19	75.6	21	पश्चिम बंगाल	17.36	19	11.2	19
नागालैंड	61.92	20	76.1	23	त्रिपुरा	16.06	20	8.8	22
पंजाब	63.55	21	70.7	17	असम	15.9	21	11.5	18
तमिलनाडु	64.55	22	73.4	20	सिक्किम	15.27	22	11	20
त्रिपुरा	65.41	23	82.7	24	गोवा	13.37	23	7.9	23
महाराष्ट्र	67.51	24	75.9	22	पंजाब	12.08	24	9.7	21
हिमाचल प्रदेश	68.08	25	75.9	22	नागालैंड	9.85	25	6.7	24
गोवा	75.51	26	84.7	25	केरल	6.34	26	4	25
मिजोरम	86.13	27	89.3	26	मेघालय	5.73	27	3.1	26
केरल	87.86	28	92.1	27	मिजोरम	4.56	28	4	25
भारत	54.16	-	64.6	-	भारत	21.69	-		-

स्रोत : जनगणना रिपोर्ट (भारत) 2001 एवं 2011

महिला सशक्तिकरण हेतु प्रमुख सुझाव

शिक्षा व शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव इस प्रकार से हो सकते है-

- महिला-शिक्षा व्यावसायोन्मुख बनायी जाये।
- हस्त-कौशल एवं साक्षरता-कार्यक्रम साथ-साथ चलाया जाये।
- मीडिया का व्यापक प्रयोग किया जाये।

- सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु जिन कानूनों का निर्माण किया है उनकी सही जानकारी महिलाओं को, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचायी जाये।
- सरकारी कानून एवं कल्याण योजनाएँ तक तक व्यर्थ होगी जब तक अपने देश की महिलाओं को शिक्षित न बना दे। अतः शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक देश-व्यापी व शक्तिशाली अभियान चलाया जाये।
- महिलाओं सम्बन्धी कान्नों को लागू करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए और इस दिशा में स्वयं की जिम्मेदारी समझकर प्रयास करना चाहिए।
- महिलाओ की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें पुरुषों की भांति स्वतन्त्र रूप से अपनी आजीविका कमाने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए।
- महिलाओं में अपने अस्तित्व के प्रति जागृति उत्पन्न की जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि महिलाओं को अपने पिछड़ेपन का ज्ञान हो और वे समझे कि अपने उत्थान के लिए उन्हें स्वयं ही आगे आना होगा।
- समाज में महिला का नेतृत्व प्रशिक्षण सहित अनौपचारिक शिक्षा, कृषि और कृषि सम्बन्धी कार्यों, स्वास्थ्य की देखभाल, बालकों का पालन-पोषण, परिवार नियोजन इत्यादि के विषय में पारिवारिक जीवन की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।
- महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगारों की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। महिलाओं की आय बढ़ाने वाल लघु एवं कुटीर उद्योग, महिला रोजगार वृद्धि कार्यक्रमों को व्यवस्थित एवं विकसित किया जाये।

सन्दर्भ सूची

1. कुरूक्षेत्र, मई २००४, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
2. कुरूक्षेत्र, सितम्बर २००५, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
3. कुरूक्षेत्र, सितम्बर २००६, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
4. कुरूक्षेत्र, मार्च २००७ प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
5. कुरूक्षेत्र, दिसम्बर २००७, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
6. कुरूक्षेत्र, मार्च २००८, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
7. योजना, दिसम्बर २००७, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
8. आधुनिक समाज की नारी चेतना, डॉ. सुशील वर्मा, आशा पब्लिशिंग कम्पनी आगरा।
9. जनगणना रिपोर्ट २००१ एवं २०११